

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(2) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2014/ ८१३४-४३ जयपुर, दिनांक 19. 6. 15
जिला कलेक्टर, (सहायता)
बाड़मेर (राज0)।

विषय:— अभाव संवत् 2071 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों के संचालन की स्वीकृति एवं दिशा-निर्देश।

सन्दर्भ:— आपका पत्रांक: प. 35(5) (4) आ.प्र. एवं स.आ./2014/2533 दिनांक 9.6.2015 के क्रम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ1 (1) (4) आ.प्र.स.आ/सामान्य / 2014/ 10908-44 दिनांक 19.10.2014 से आपके जिले को खरीफ फसल खराबा के आधार पर अभावग्रस्त घोषित किया गया था। यह अवधि 31.7.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अभाव सम्वत् 2071 के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ प्राप्त करने के पश्चात एवं दिशा निर्देशों की पालना मय आपकी टिप्पणी दिनांक 9.6.2015 के आधार पर दी जा रही है। इसमें किसी तरह की अनियमितता एवं लापरवाही सामने आने पर दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सर्पेंशन आफ प्रोसिडिंग्स) एकट, 1952 के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांवों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप असहाय/आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर संचालन करने हेतु हेतु जारी दिनांक से 30 दिवस तक पशु शिविरों के खोले जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है :—

तहसील—चौहटन

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	पशु शिविर स्थल का नाम	संचालक संस्था का नाम	प्रस्तावित पशु		
				बड़े	छोटे	योग
1.	चौहटन	स्वरूपसिंह की ढाणी बाई पास चौहटन	ग्राम पं. चौहन	200	0	200
2.	चौहटन	जीएलआर के पास जम्मेश्वर नगर	ग्राम पं. चौहन	170	30	200
3.	सोडियार	पानी की होदी के पास गोचर भूमि सोडियार	ग्राम पं. चौहन	150	0	150
4.	सोडियार	भीलों के कुएं के पास लाखासर	ग्राम पं. सोडियार	100	0	100
5.	सोडियार	पानी की होदी के पास मूकरासर	ग्राम पं. सोडियार	100	0	100
6.	सोडियार	पानी की होदी के पास एरोवाला	ग्राम पं. सोडियार	150	0	150
7.	सोडियार	ग्राम मुख्यालय गोलियार	ग्राम पं. गोलियार	150	50	200
8.	सोडियार	ग्राम मुख्यालय निम्बली	ग्राम पं. गोलियार	175	25	200
9.	सोडियार	ग्राम मुख्यालय राणीसर	ग्राम पं. गोलियार	160	40	200
10.	बाछडाऊ	जलकुण्ड के पास बाछताऊ	ग्राम पं. बाछडाऊ	200	0	200
11.	बाछडाऊ	भाखरी नाडी के पास बाछडाऊ	ग्राम पं. बाछडाऊ	200	0	200

12.	बाछडाऊ	नलकूप के पास खेमपुरा	ग्रा.प.बाछडाऊ	200	0	200
13.	बाछडाऊ	नाडी के पास रुधपुरा	ग्राम पं. बाछडाऊ	100	0	100
14.	बाछडाऊ	स्कूल के पास जाणियोवाला	ग्राम पं. बाछडाऊ	200	0	200
15.	बाछडाऊ	सप्रादि के पास थोरियोवाला	ग्राम पं. बाछडाऊ	100	0	100
16.	गुमाने का तला	नलकूप नं. दो के पास गुमाने का तला	ग्राम पं. गुमाने का तला	200	0	200
17.	आलमसर	गवाई नाडी आलमसर	ग्राम पं. आलमसर	200	0	200
18.	आलमसर	ग्राम मुख्यालय हाजी जमासर	ग्राम पं. आलमसर	100	0	100
19.	आलमसर	ट्यूबवेल के पास आलमसर	ग्राम पं. आलमसर	200	0	200
20.	आलमसर	बाकासर आलमसर	ग्राम पं. आलमसर	100	0	100
21.	पवारिया तला	ग्राम पंचायत के पास पंवारिया तला	ग्राम पं. पंवारिया तला	100	0	100
22.	पवारिया तला	राप्रादि के पास लीलसर दखणाद	ग्राम पं. पंवारिया तला	100	0	100
23.	पवारिया तला	ग्राम मुख्यालय जसनाथ नगर	ग्राम पं. पंवारिया तला	100	0	100
24.	पवारिया तला	ग्राम मुख्यालय बुढ़ियों का तला	ग्राम पं. पंवारिया तला	100	0	100
25.	पवारिया तला	ग्राम मुख्यालय, साकरिया तला	ग्राम पं. पंवारिया तला	200	0	200
26.	लीलसर	ग्राम पंचायत लीलसर	ग्राम पं. लीलसर	200	0	200
27.	लीलसर	ग्राम मुख्यालय शेरपुरा	ग्राम पं. लीलसर	200	0	200
28.	लीलसर	ग्राम मुख्यालय मुकने का तला	ग्राम पं. लीलसर	100	0	100
29.	लीलसर	ग्राम मुख्यालय सियागपुरा	ग्राम पं. लीलसर	100	0	100
30.	लीलसर	ग्राम मुख्यालय गोदारों का तला	ग्राम पं. लीलसर	100	0	100
31.	तारातरा मठ	रामदेवरिया कुआ के पास गोरखधाम	ग्राम पं. तारातरा मठ	95	5	100
32.	तारातरा मठ	रावते का तला के पास रावते का तला	ग्राम पं. तारातरा मठ	100	0	100
33.	तारातरा मठ	सरकारी टाका राप्रावि तारातरा डेर	ग्राम पं. तारातरा मठ	100	0	100
34.	तारातरा मठ	लक्ष्मणसिंह का तला जाखड़ों की ढाणी सावले का तला	ग्राम पं. तारातरा मठ	100	0	100
35.	तारातरा मठ	ग्राम मुख्यालय सुरते का तला	ग्राम पं. तारातरा मठ	100	0	100
36.	बावड़ी कला	नीम्बली नाड का कुआ बावड़ी कला	ग्रा.पं. बावड़ी कला	180	20	200
37.	बावड़ी कला	ओपनवेल रोडिया का तला	ग्रा.पं. बावड़ी कला	94	6	100
38.	करेनाडा	झूंगराणी मेघवालों की ढाणी जाटों की ढाणी	ग्रा.पं.करेनाडा	200	0	200
39.	साइयों का तला	सार्व.टाका जगमाल गोदारा की ढाणी प्रेम नगर	ग्रा.पं. साइयों का तला	150	0	150
40.	केलनोर	कल्याणपुरा	ग्राम पं. केलनोर	200	0	200
41.	नेतराड	हेमाणी गोदारों की बस्ती	ग्रा.पं. नेतराड	180	20	200

16 मई 2018
ग्राम पंचायत

		खेराज का तला				
42	रतासर	मईयों की ढाणी कार्यशाला के पास रतासर डेर	ग्राम पं.रतासर	70	30	100
43	रतासर	समेजों की ढाणी के पास जाखड़ी की ढाणी	ग्राम पं.रतासर	100	0	100
44	धारासर	राप्रावि के पास नन्दराम की ढाणी	ग्राम पं. धारासर	100	0	100
45	ढोक	भोपा भीमसर की ढाणी ढोक	ग्राम पं. ढोक	100	0	100
46	आकोडा	राउवि जेठमालपुरा के पास जेठमालपुरा	ग्राम पं. आकोडा	100	0	100
47	आकोडा	जीएलआर के पास नोहड़ीयों की बस्ती	ग्राम पं. आकोडा	130	20	150
		योग	6554	246	6800	

तहसील—सेड्वा

48	सेड्वा	ग्रा.पं.सेड्वा	ग्रा.पं.सेड्वा	200	0	200
49.	चिचड़ासर	ग्रा.मुख्यालय आलू का तला	ग्रा.पं. चिचड़ासर	200	0	200
50.	शौभाला दर्शन	दुर्घ डेयरी दर्शन	ग्रा.पं.शौभाला	200	0	200
51.	हरपालिया	हरपालिया	ग्रा.पं.हरपालिया	200	0	200
52.	भलगांव	पंचायत भवन के पास भलगांव	ग्रा.पं. भलगांव	200	0	200
53.	पनोरिया	काईना हाउस पनोरिया	ग्रा.पं.पनोरिया	145	55	200
54.	कारटिया	कारटिया	ग्रा.पं.कारटिया	200	0	200
55.	केकड़	केकड़	ग्रा.पं.केकड़	150	50	200
56.	भूणिया	एयरटेल टावर के पास भूणिया	ग्रा.पं.भूणिया	200	0	200
57.	पांधी का निवाण	पांधी का निवाण	ग्रा.पं. पांधी का निवाण	200	0	200
58.	फगलू का तला	चौराहे के पास फगलू का तला	ग्रा.पं. फगलू का तला	200	0	200
59.	एकल	रामपुरा	ग्रा.पं.एकल	150	50	200
60.	एकल	भाडा	ग्रा.पं.एकल	200	0	200
61.	गिडा	ग्राम पंचायत भवन गिडा	ग्रा.पं.गिडा	150	50	200
62.	मिठे का तला	ग्रा.पं.मिठे का तला	ग्रा.पं.मिठे का तला	200	0	200
63.	रबासर	TW के पास आबादी रबासर	ग्रा.पं. रबासर	200	0	200
64.	लकड़ासर	लकड़ासर	ग्रा.पं. लकड़ासर	200	0	200
65.	शेरपुरा	शेरपुरा	ग्रा.पं.शेरपुरा	200	0	200
66.	सावलासी	सावलासी	ग्रा.पं.सावलासी	200	0	200
		योग	3595	205	3800	

तहसील—सेड्वा

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	पशु शिविर स्थल का नाम	संचालक संस्था का नाम	प्रस्तावित पशु		
				बड़े	छोटे	योग
67.	मीठे का तला	आम चौराहा चौहटन रोड मीठे का तला	ग्रा.पं.मीठे का तला	200	0	200
68.	गोहड़ का तला	ट्यूबवेल के पास	ग्रा.पं.मीठे का तला	200	0	200

		इंब्र का तला				
69.	गोहड़ का तला	ट्यूबवेल के पास सेयज मौज अली का तला	ग्रा.पं.गोहड़ का तला	200	0	200
70.	गोहड़ का तला	ट्यूबवेल के पास आगनशाह की ढाणी	ग्रा.पं.गोहड़ का तला	200	0	200
71.	गोहड़ का तला	ट्यूबवेल के पास गंगापुरा	ग्रा.पं.गोहड़ का तला	200	0	200
72.	गोहड़ का तला	ट्यूबवेल के पास भूरोमल की ढाणी गोहड़ का तला	ग्रा.पं.गोहड़ का तला	200	0	200
73.	तालसर	वसिये का तला	ग्रा.पं.तालसर	150	50	200
74.	तालसर	सोमराड	ग्रा.पं. तालसर	140	60	200
75.	तालसर	कृष्ण का तला	ग्रा.पं.तालसर	150	50	200
76.	रबासर	अनुपसिंह की ढाणी रबासर	ग्रा.पंत्र. रबासर	160	40	200
77.	रबासर	रहमो की बस्ती, रबासर	ग्रा.पं. रबासर	130	70	200
78.	रबासर	अधरिम का तला	ग्रा.पं. रबासर	146	54	200
79.	पाधी का निवाण	फकीरों का निवाण	ग्रा.पं. पाधी का निवाण	200	0	200
80.	बीजासर	बीजासर	ग्रा.पं.बीजासर	200	0	200
81.	बुहरान का तला	पुलिस चौकी के पास बुहरान का तला	ग्रा..पं. बुहरान का तला	200	0	200
82.	साता	सुहागी	ग्रा.पं. साता	200	0	200
83.	साता	आबादी के पास साता	ग्रा.पं. साता	200	0	200
84.	साता	रंगवाली	ग्राम.पं. साता	200	0	200
85.	नवातला बाखासर	पानी की टंकी के पास सूजो का निवाण	ग्रा.पं. नवातला बाखासर	200	0	200
86.	नवातला बाखासर	आबादी के पास रते का तला	ग्रा.पं. नवातला बाखासर	200	0	200
87.	ईटादा	सार्व.होदी के पास इटादिया	ग्रा.पं.ईटादा	200	0	200
88.	ईटादा	अलदाद / रहीम के बेरे के पास जाम का तला	ग्रा.पं.ईटादा	200	0	200
89.	ईटादा	रा.प्रा.वि.मनहर का तला सुथारों का तला	ग्रा. पं.ईटादा	200	0	200
90.	तरला	अबावा	ग्रा.पं.तरला	200	0	200
			योग :	4476	324	4800
			कुल योग:-	14625	775	15400

विभागीय पत्र क्रमांक 4180-203 दिनांक 06.04.2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पशु शिविर संचालन करने की कार्यवाही करें:-

1. अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों का संचालन भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक 32-3/2013-NDM-I दिनांक 28.11.2013 के संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डों के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. पशु शिविर का संचालन राजकीय संस्था, पंचायतीराज संस्था या स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से करवाया जावे एवं साथ ही ऐसे शिविरों में बेसहारा तथा लावारिस पशुओं को संधारित किया जावे।
3. गत वर्षों में राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पशु पालकों के दुधारू पशुओं को भी पशु शिविर में दाखिल कर लिया जाता है तथा पशुपालक दिन में पशुओं को चराई की सुविधा हेतु शिविरों में छोड़ देते हैं एवं सुबह -शाम पशुओं को लेकर जाते हैं। अतः इस सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

 - (i) किसी भी शिविर में दुधारू पशु को नहीं रखा जाए।
 - (ii) पशु शिविर उन्हीं संस्थाओं को स्वीकृत किये जाए जिनके पास पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा बाड़ा, छाया, पानी, इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो।
 - (iii) यदि पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को शिविरों में दाखिल किया जाता है तो पशु पालक को पशु का मालिकाना हक छोड़ना होगा।
 - (iv) पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 50/- रुपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 25/-रुपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से चारा/पशु आहार देने हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
 - (v) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1किलो पशु आहार बड़े पशु को तथा 1/2 किलो पशु-आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 11/- रुपये बड़े पशु तथा 5.50/- रु. प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि में से काटी जाकर शेष अनुदान राशि का भुगतान संस्था को किया जाए।
 - (vi) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी। अन्य किसी संस्था द्वारा निर्मित पशु आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पशु आहार राशि की कटौति सुनिश्चित की जाए।
 - (vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुओं का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे जा रहे रजिस्टरों में आवश्यक इन्ड्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।
 - (viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में अधिकतम पशु सीमा 200 से अधिक न हो तथा 15 दिवस की अवधि में कम से कम 100 पशु होने की स्थिति में ही शिविर संचालक को अनुदान राशि का भुगतान किया जाए।
 4. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाए:-

 - (i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम
 - (ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक
 - (iii) स्थान का नाम जहाँ शिविर चलाया जाएगा।
 - (iv) पशुओं की संख्या जो शिविर में रखने हेतु प्रस्तावित हो
 - (v) शिविर के लिए पशु शाला हेतु उपलब्ध स्थान
 - (vi) शिविर पर पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधाएं

- (vii) चारा कितनी मात्रा में प्रति पशु प्रति दिन दिया जाएगा तथा अन्य सुविधायें क्या दी जाएंगी।
- (viii) जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने का दिनांक
- (ix) दिनांक जिससे पशु शिविर चालू किया गया
- (x) संस्था की स्थायी संचालन समिति के सदस्यों के नाम
- (xi) बैंक जिसमें संस्था अपना खाता रखती हो
- (xii) संस्था के प्रबन्धक / अध्यक्ष एवं सचिव का नाम
- (xiii) संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं
- (xiv) संस्था की सामान्य वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी
5. पशु शिविर अनुदान, शिविर खोलने के दिनांक से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा शिविर खोलने की अनुमति देने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, दिया जाए।
6. पशु शिविर चलाने वाले स्वयं सेवी संस्था की स्थानीय संचालक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे एवं यह निर्देशित किया जाए कि स्थानीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को प्रदान की जावे ताकि बैठक में जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके।
7. ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए, जिसमें निम्न रजिस्टरों का संधारण कराया जाएः।-
- क. पशु चारा/पशु आहार खरीद एवं स्टाक रजिस्टर
- ख. पशुओं के पंजीकरण का रजिस्टर
- ग. चारा तथा पशु आहार दैनिक वितरण रजिस्टर
- घ. दैनिक आमद व खर्च का रोकड़ बही
8. ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का सहायता विभाग से अधिकृत किसी अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।
9. जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से पशुओं का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार पशु, वार्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्था को भेज दी जाए।
10. यदि किसी संस्था द्वारा संचालित शिविर की व्यवस्था, जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो ऐसे शिविर की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की जाए।
11. पशु शिविर चलाने वाली संस्था द्वारा जिला कलेक्टर को प्रत्येक चरण का हिसाब प्रस्तुत किया जाये। जिला कलेक्टर की स्वयं की स्वीकृति के उपरान्त देय अनुदान राशि का भुगतान बिल प्राप्त के 7 दिन में किया जाये। इस प्रकार किये गये भुगतान में राशि कम या अधिक पाई जाने पर उसका समायोजन अगले पखवाड़े के हिसाब में किया जाये। यदि हिसाब चरण के पश्चात किया जावे तो संस्था को देरी के कारण लिखित में अंकित करने होंगे।
12. किसी भी संचालक संस्था, जिसके माध्यम से पशु शिविर संचालित किये जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त इन संस्थाओं के प्रस्ताव स्वीकृत करें।
13. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पशु शिविरों में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्टरों व अन्य सुविधाएं जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरान्त पशु बढ़ोत्तरी के प्रस्तावों की अनुशंसा जिला कलेक्टर को करें तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुशंसा से स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त प्रस्ताव इन कार्यालय को प्रेषित करें।



14. जिला कलेक्टर सम्बन्धित पंचायत/संस्था का नाम अंकित कर स्वीकृति जारी करते समय स्थल का नाम भी अंकित करावें।
15. स्वीकृत पशु शिविरों का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरक्षण/ विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।
16. जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित पशु शिविरों के संचालन के लिए स्वीकृति जारी करते समय सम्बन्धित संचालक संस्था से एक शपथ—पत्र लिया जाये। (संलग्न शपथ—पत्र का प्रारूप 10 रूपये नोन जूडिशियल स्टाम पेपर पर)
17. स्वीकृति जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत का अनापति प्रमाण पत्र लिया जाना सुनिश्चित कर ले की जिन ग्राम पंचायतों में स्वयं सेवी संस्था द्वारा पशु शिविर संचालन किया जाना है, तो उस ग्राम पंचायत से अनापति प्रमाण पत्र की शर्त के साथ स्वीकृति दी जा सकती है। यदि पंचायत स्वयं पशुशिविर संचालन करना चाहती है तो अपने स्तर से इसे प्राथमिकता देवे।
उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पशु शिविरों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

Am 19/6/15
शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन विभाग एवं प्रबंध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
9. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
10. गार्ड फाईल।

19/6/15
शासन सचिव